सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	आश्विन 9, गुरूवार, शाके 1942–अक्टूबर 1, 2020 *Asvina 9, Thursday, Saka 1942–October 1, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 23, 2020

संख्या एफ 1/ आर.टी.यू./ए-10/2014/13636 :-ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अन्तर्गत राजस्थान परिवहन निगम जनता मजदूर संघ जयपुर जिसकी पंजीयन संख्या आर.टी.यू. 9/2014 है, के द्वारा अधिनियम, 1926 की धारा-6 एवं 28 तथा विधान के नियम-5, 11 (च), 13 एवं 14 (ख) (ग) का उल्लघंन करने के कारण दिनांक 21.01.2019 को संघ का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था।

राजस्थान परिवहन निगम जनता मजदूर संघ, जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष/प्रदेश महामंत्री द्वारा दिनांक 27.02.2020 को प्रार्थना पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संघ को निरस्तीकरण से पूर्व उन्हे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही निरस्तीकरण के आदेश प्राप्त हुए। संगठन की स्थापना की समय संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा ने संगठन कार्यालय का पता स्वयं के निवास का रखा गया था तथा वे संघ का संचालन अपने निवास स्थान के पते से ही करते थे। संघ का समय-समय पर कार्य विस्तार हुआ है एवं संगठन के समस्त रिकॉर्ड का रखरखाव, देखभाल एवं आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही स्वयं करते रहे, और यह सिलसिला 2, 3 वर्षों तक सही तरीके से चलाते रहे लेकिन श्री शर्मा द्वारा संघ विरोधी कार्यवाही करने के कारण संघ के पदाधिकारियों द्वारा उन्हे बार-बार समझाने पर सुधार नहीं किया गया। चूंकि श्री शर्मा संघ के सम्मानित सदस्य थे इसलिए आम सहमति से उन्हे निष्कासित नहीं कर, संघ में अनावश्यक हस्तेक्षप नहीं करने की हिदायत दी गई। लेकिन वे अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर संघ के अन्दर भीतर-घात कर, अपने निवास पर आने वाले समस्त पत्रों को छुपाते रहें, फलस्वरूप उन्हे कोई नोटिस आदि समय रहते प्राप्त नहीं हुए।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रार्थी संघ के पदाधिकारियों को दिनांक 30.06.2020 को सुना गया। सुनवाई के दौरान उनका कथन रहा कि समय रहते संघ का पता उन्हे बदलवाना चाहिए था जो उनके द्वारा नही बदलवाया जिसका खामियाजा संघ को भुगतना पडा। संघ वर्ष-2014 से लगातार अपने सदस्यों के हितार्थ लगातार काम कर रहा है। आम सभा बैठके कार्यवाही, कार्यकारिणी के चुनाव, तथा श्रमिको के संयुक्त मोर्चे के साथ लगातार गत 5 वर्षो से निरन्तर संघर्ष करते हुए प्रबन्धन से समझौते कर रहा है। संघ को नियमों की जानकारी नही होने के कारण नियत वर्ष-2014 से 2017 तक की रिर्टन प्रस्तुत नही कर पाये। भविष्य में इसकी पुर्नरावृर्ति नही होगी तथा समय पर रिर्टन प्रस्तुत करते रहेगें।

प्रार्थी संघ के प्रार्थना-पत्र एवम उसके साथ संलग्न दस्तावेजों, शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया और पाया कि संघ अपने सदस्यों के हितार्थ काम कर रहा है एवम समय-समय पर विधि मान्य तरीके से चुनाव करा रहा है तथा क्रियाशील है।

यतः अधिनियम, 1926 के प्रावधानों, न्यायिक नजिरों एवम प्रार्थना-पत्र मे प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उक्त संघ के पंजीयन का निरस्तीकरण दिनांक 21.01.2019 को विधि संगत एवम विधि सम्मत नही होने के कारण मैं पतंजलि भू रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर राजस्थान परिवहन निगम जनता मजदूर संघ 19-ए बन्शीपुरी द्वितिय राजकीय स्कूल मनोहरपुरा के पास, जगतपुरा जयपुर जिसकी पंजीयन संख्या आरटीयू/9/2014 के निरस्त किये गये पंजीयन को पुनः बहाल किये जाने के आदेश देता हूं। आदेश लिखाकर आज दिनांक 23/7/2020 जारी किये गये।

पतंजलि भू,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर

Government Central Press, Jaipur.